762

पत्र संख्या–बजट–38–193–अनाच्छादित–व्या०दु०बी०यो0(2025–26)/ /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: 27 फरवरी, 2026

अपर आयुक्त,ग्रेड–1, राज्य कर,
झॉसी जोन झॉसी।

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या– 4087 दिनांक 06.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा स्व0 श्री पवन कुमार शिवहरे फर्मस्वामी सर्वश्री दिनेश एजेन्सी, बॉदा जिनकी दिनांक 20.10.2014 को मृत्यु हो गयी थी, का बीमा दावा प्रकरण निस्तारण किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में दावा दिनांक 20.11.2025 को दायर किया गया था, जो निर्धारित समय सीमा से लगभग 07 माह विलम्ब से था, परन्तु आप द्वारा प्रकरण में विलम्बमर्षण किये जाने हेतु कोई संस्तुति प्रदान नही की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दावेदार से समुचित कारण प्राप्त करते हुए प्रकरण में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का ससमय निस्तारण किया जा सके।

उक्त पत्र आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1– संयुक्त आयुक्त(कार्य0), राज्य कर, बॉदा सम्भाग बॉदा।
2– संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय कों विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।